



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एसा०य०४ला०४मा०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail%nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्राक— ०४४/२४१/ एनयूएलएम/ तीन/ 2016(य०सी०)

दिनांक— २०/०१/१६.



सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत समस्त घटकों में व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया समय—समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समस्त घटकों की समीक्षा की जाती है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त चयनित शहरों को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। शहरों से धनराशि व्यय किये जाने की सूचना भी प्राप्त हो रही है, किन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय के सापेक्ष काफी कम धनराशि के ही प्राप्त हुए हैं। जिससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा की जा रही समीक्षा में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

दिनांक 05 जनवरी 2016 को सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन द्वारा एनयूएलएम की गयी समीक्षा में समस्त व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रामाण पत्र 31 जनवरी 2016 तक प्रत्येक दशा में भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 18.01.2016 को भारत सरकार द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी तथा व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मिशन के विभिन्न घटकों में व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रामाण पत्र तथा घटकवार अद्यतन व्यय की स्थिति की लिखित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 25.01.2016 तक ई—मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।

अतः राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के योजनान्तर्गत आपके शहर को विभिन्न घटकों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं

अद्यतन व्यय की लिखित सूचना निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही यदि किसी उपघटक में धनराशि व्यय नहीं की गयी है तो भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए धनराशि व्यय कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आपके शहर को धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ—

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहाय परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा, उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर सूडा उ0प्र0 को सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक